

बृहद अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण

प्रलम्ब के लिये:

[भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#), [प्रावधान](#), [राजकोषीय घाटा](#), [सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी \(Public-Private Partnerships- PPP\)](#), [केयर रेटिंग](#), [कॉर्पोरेट बाण्ड बाज़ार](#)

मेन्स के लिये:

[राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन \(National Infrastructure Pipeline- NIP\)](#), [राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक \(National Bank for Financing Infrastructure and Development- NaBFID\)](#), [राष्ट्रीय नविश एवं अवसंरचना कोष \(National Investment and Infrastructure Fund- NIIIF\)](#), भारत में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के समक्ष वित्तपोषण संबंधी मुद्दे।

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय रज़िर्व बैंक \(Reserve Bank of India- RBI\)](#) ने बुनयिदी ढाँचे, गैर-बुनयिदी ढाँचे और वाणजियकि [अचल संपत्तकि क्षेत्रों](#) में [दीर्घकालकि परियोजनाओं](#) के वित्तपोषण के वनियमन में सुधार के लिये एक नया ढाँचा प्रस्तावति कयिा है।

- यह कदम इन परियोजनाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों, जैसे वलिंब और लागत में वृद्धिको देखते हुए उठाय़ा गया है।

परियोजना के वित्तपोषण के लिये RBI द्वारा प्रस्तावति प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- ऋण वतिरण कारयकरमों को सीमति करना: यह ढाँचा ऋण चूक, परियोजना की वाणजियकि परचालन प्रारंभ तथि(DCCO) में वसितार, अतरिकित ऋण आवश्यकताओं या परियोजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value- NPV) में कमी जैसे ऋणों वतिरण अवसरों में कमी करने को प्राथमकिता देता है।
- प्रावधान में वृद्धि: संभावति नुकसान के वरिद्ध बफर बनाने के लिये रूपरेखा में बैंकों द्वारा प्रावधान (नधिअलग रखना) में महत्त्वपूर्ण वृद्धिका प्रस्ताव कयिा गया है।
 - नरिमाण चरण (परियोजना शुरू होने से पहले) के दौरान [प्रावधान](#) को ऋण राशि के मौजूदा **0.4% से बढ़ाकर 5%** कर दयिा गया है।
 - 5% प्रावधान धीरे-धीरे लागू कयिा जाएगा, जो वतित वर्ष 2025 में 2%, वतित वर्ष 2026 में 3.5% तथा वतित वर्ष 2027 तक 5% तक पहुँच जाएगा।
 - अनुमान है क अतरिकित प्रावधान आवश्यकताएँ बैंकों की नविल संपत्तिका 0.5-3% होंगी और इससे [CET1 \(Common Equity Tier 1\)](#) अनुपात प्रभावति हो सकता है।
- परचालन के दौरान प्रावधान में कमी: यद किई परियोजना सकारात्मक शुद्ध परचालन नकदी प्रवाह (पुनरभुगतानों को कवर करने के लिये पर्याप्त आय) प्रदर्शति करती है तथा वाणजियकि परचालन शुरू करने के बाद अपने कुल ऋण को 20% तक कम कर देती है, तो प्रावधान को कम कयिा जा सकता है।
- प्रस्तावति ढाँचे के संभावति प्रभाव:
 - बैंकों पर प्रभाव:
 - उच्च प्रावधान आवश्यकताओं से अलपावधि में बैंक की लाभप्रदता प्रभावति हो सकती है। इसके अतरिकित उच्च जोखमि को दर्शाने के लिये ऋण मूल्य नरिधारण में अल्प वृद्धि हो सकती है।
 - [सरकारी स्वामति वाले बैंक](#) सतरकता के साथ आशावादी हैं, तथा उनका कहना है क मूल्य नरिधारण पर प्रभाव मध्यम हो सकता है।
 - उधारकर्त्ताओं पर प्रभाव:
 - उधारकर्त्ताओं को [सख्त वित्तपोषण शर्तों](#) और संभावति रूप से उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि इस ढाँचे का उद्देश्य परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करना और लंबे समय में समग्र जोखमि को कम करना है।
 - [रेटिंग एजेंसियों](#) का अनुमान है क वित्तपोषण लागत में 20-40 आधार अंकों की वृद्धि हो सकती है।

बैंक पूंजी का वर्गीकरण:

- **बेसल-III मानदंडों** के अनुसार, बैंकों की नियामक पूंजी को **टयिर 1 और टयिर 2** में विभाजित किया गया है, जबकि टयिर 1 को **कॉमन इक्विटी टयिर-1 (CET-1)** और **अतिरिक्त टयिर-1 (AT-1)** पूंजी में विभाजित किया गया है।
 - **कॉमन इक्विटी टयिर 1** कैपिटल में **इक्विटी इंस्ट्रूमेंट** शामिल होते हैं, जहाँ रटिर्न बैंकों के प्रदर्शन और इसलियेशियर की कीमत के प्रदर्शन से जुड़े होते हैं। इनकी कोई **परपिक्वता** नहीं होती।
 - **अतिरिक्त टयिर-1 पूंजी** स्थायी बॉण्ड हैं, जिन पर बैंक के पछिले या वर्तमान मुनाफे से सालाना **भुगतान योग्य एक नश्चिति कूपन** होता है। इनकी कोई **परपिक्वता** नहीं होती है और इनके लाभांश को कभी भी रद्द किया जा सकता है।
- **टयिर 2 पूंजी** में **असुरक्षित अधीनस्थ ऋण** शामिल होता है जिसकी **मूल परपिक्वता** अवधि **कम-से-कम पाँच वर्ष** होती है।

प्रावधान कवरेज अनुपात (Provisioning Coverage Ratio- PCR):

- प्रावधान के तहत **बैंकों को अपनी खराब परसिंपत्तियों का एक निर्धारित प्रतशित धनराशि अलग रखनी होती है या उपलब्ध करानी होती है।**
- यह मूलतः **सकल गैर-नशिपादति परसिंपत्तियों** के लिये प्रावधान का अनुपात है तथा यह दर्शाता है कि बैंक ने ऋण घाटे को कवर करने के लिये कतिनी धनराशि अलग रखी है।

भारत में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के समक्ष वित्तपोषण संबंधी क्या समस्याएँ हैं?

- **सरकार पर राजकोषीय भार:** परंपरागत रूप से सरकार **अवसंरचना परियोजनाओं** के लिये **धन का प्राथमिक स्रोत** रही है, जिसके कारण **राजकोषीय घाटा** अधिक होता है। इससे **शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा** जैसे अन्य **सामाजिक कार्यक्रमों** पर खर्च सीमित हो जाता है।
 - वर्ष 2022 में सरकार का बुनियादी ढाँचा व्यय **सकल घरेलू उत्पाद** का लगभग 3.3% था, जो एक सकारात्मक कदम है लेकिन अभी भी वांछित स्तर से नीचे है।
- **वाणज्यिक बैंकों की परसिंपत्त-देयता में असमानता:** वाणज्यिक बैंक, जो अवसंरचना के वित्तपोषण का एक प्रमुख स्रोत हैं, वे **कम अवधि के ऋणों** को प्राथमिकता देते हैं, जिनमें कम रटिर्न मलिता है। धीमा रटिर्न वाली दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाएँ कम आकर्षक हो जाती हैं।
 - कई अवसंरचना परियोजनाओं में **देरी और लागत में वृद्धि** का सामना करना पड़ता है, जिससे ऋण देने वाले बैंकों के लिये **वित्तीय तनाव** उत्पन्न होता है। इससे बड़ी परियोजनाओं के लिये आगे ऋण देने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सार्वजनिक-नजी भागीदारी (Public-Private Partnerships- PPP) परियोजनाओं में नविश में कमी:** PPP के माध्यम से नजी क्षेत्र की भागीदारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। अनश्चिति वनियामक वातावरण, जटिल परियोजना संरचना और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे नजी नविशकों को हतोत्साहित करते हैं।
 - भारतीय करेडिट रेटिंग एजेंसी **केयर रेटिंग्स (CARE Ratings)** की **2023 की रिपोर्ट** में कहा गया है कि अवसंरचना परियोजनाओं में नजी क्षेत्र का **नविश कुल आवश्यकता का लगभग 5% रहा है।**
 - **अकुशल और अवकिसति कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार:** भारत का **कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार**, जो अवसंरचना के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण का एक संभावित स्रोत है, अभी भी अपेक्षाकृत **छोटा** है और इसमें **तरलता की कमी** है। इससे अवसंरचना कंपनियों के लिये बॉण्ड जारी करके धन जुटाना मुश्किल हो जाता है।
 - वर्ष 2023 में **भारत के कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार** का आकार लगभग **1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** होने का अनुमान है, जो कि महत्वपूर्ण है लेकिन **51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** के साथ अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अभी भी छोटा है।
 - **बीमा एवं पेंशन फंडों के नविश दायित्व:** वनियमों के अनुसार अक्सर बीमा एवं पेंशन फंडों को अपने फंड का एक **बड़ा हिस्सा सरकारी परतभित्तियों में नविश** करना पड़ता है। इससे जोखिमपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में नविश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है, जो कि उच्च रटिर्न दे सकती हैं।
 - **वशिव बैंक** के अनुसार, भारतीय पेंशन फंड की केवल 2% परसिंपत्तियों ही **अवसंरचना परियोजनाओं** में नविशति हैं, जबकि वैश्विक औसत 5-10% है।

भारत में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित सरकार की क्या नई पहलें हैं?

- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)**
- **राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (NaBFID)**
- **राष्ट्रीय नविश एवं अवसंरचना कोष (NIIF)**
- **अवसंरचना नविश ट्रस्ट (InvITs) और रयिल एस्टेट नविश ट्रस्ट (REITs)**
- सार्वजनिक-नजी भागीदारी (PPP) मॉडल में सुधार: सरकार कानूनी जटिलताओं को कम करने, अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने और विवाद समाधान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने जैसे उपाय कर रही है।
 - **उदाहरण:** वित्त मंत्रालय ने नजी नविशकों की चिंताओं को दूर करने तथा परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिये **एकसमरूपित PPP सेल और मॉडल रियायत समझौते (Model Concession Agreements)** की स्थापना की है।
- **सॉवरेन वेलथ फंड (SWF):**
 - भारत सरकार बड़े सॉवरेन वेलथ फंड (Sovereign Wealth Funds- SWF) वाले **संयुक्त अरब अमीरात, नॉर्वे आदि देशों** के साथ

भारतीय बाज़ार में उनके नविश को सुवधायन बनाने के लिये सक्रिय रूप से संपर्क कर रही है।

- SWF बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर सकते हैं तथा सरकार के बजट पर जोखिम को बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं।

भारत में बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सुधार हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **परियोजना की तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाना:** व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना, जो परियोजना की व्यवहार्यता, लागत तथा संभावित जोखिमों का सटीक आकलन करता है, नविशकों को आकर्षित करने के लिये महत्वपूर्ण है।
 - एक नषिपक्ष और पारदर्शी जोखिम आवंटन ढाँचा सुनिश्चित करना जो सार्वजनिक और नजी दोनों क्षेत्रों के हितों में संतुलन बनाए रखे।
- **नजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करना:** सरकार परियोजना लागत और नजी नविशकों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण) के बीच के अंतर को पाटने के लिये अनुदान या सब्सिडी प्रदान कर सकती है, जिससे परियोजनाएँ अधिक आकर्षक बन सकती हैं।
- **वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना:** पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थागत नविशकों से नविश आकर्षित करने के लिये अधिक **इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (Infrastructure Investment Trusts- InvITs)** और **रियल एस्टेट नविश ट्रस्ट (Real Estate Investment Trusts- REITs)** के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
 - दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के लिये देश के वदेशी मुद्रा भंडार का लाभ उठाने हेतु भारत में एक संप्रभु संपदा नधिक निर्माण करना।
- **अनुमोदन और मंजूरी को सुव्यवस्थित करना:** परियोजना विकास के लिये भूमि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु **भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं** को सुव्यवस्थित करना, जो वर्तमान में एक बड़ी बाधा है।
 - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और मंजूरी के लिये अधिक कुशल प्रणाली विकसित करना, परियोजना समय-सीमा के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करना।
- **परियोजना नषिपादन और दक्षता में सुधार:** परियोजना दक्षता में सुधार तथा लागत को कम करने के लिये **प्री-फैब्रिकेशन और मॉड्यूलर निर्माण** जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
 - बड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लागत में वृद्धि से बचने के लिये सख्त नषिपादन निगरानी तथा जवाबदेही उपायों को लागू करना।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिये। साथ ही यह स्पष्ट कीजिये कि इनकी सुवधि को आसान बनाने के लिये सरकार ने क्या पहल की है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिंस

प्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (मोनेटरी पालिसी कमिटी/MPC) के संबंध में नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह RBI की मानक (बेंचमार्क) ब्याज दरों का निर्धारण करती है।
2. यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है।
3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) केवल 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह नमिनलखित में से क्या [?]/?/?/? करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना
2. सीमांत स्थायी सुवधि दर को बढ़ाना
3. बैंक दर को घटाना और रेपो दर को भी घटाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1

- (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने सेबी (SEBI) व इरडा (IRDA) नामक दोनों नियामक अभिकरणों के वलिय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/financing-of-large-infrastructure-projects>

